<u>प्रकरण संख्या 85/2021 श्रीमती जमनी बनाम वरदा व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कलड़वास, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 424, 1033, 1094, 1102, 1164, 1869, 1872, 1873, 1888, 3451/1080 कुल किता 10 रकबा 2.1250 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूलपुरूष चेना जी डांगी थे। चेना जी के एक लड़का चोखा हुआ, जो करीब 25 वर्ष पूर्व निर्वसतीय फोत हो गया एवं उनकी पत्नी तुलसी बाई का भी निधन निर्वसतीय हो गया, जिसके कानूनी वारिस वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं। इस प्रकार उक्त आराजियात में वादिया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजियात विक्रय करने पर आमादा है। अतः विवादित आराजियात का उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.08.2019 को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए वादिया का वाद तामिल के अभाव में आदेश 9 नियम 5 में खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.11.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मानाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वृद्ध महिला होने एवं लॉकडाउन होने से काफी समय तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी। दिनांक 10.10.2021 को वकील से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि दिनांक 05.08.2014 को कार्य बहिकार होने से न्यायालय नहीं लगी [illegible] के बाद लगातार 5 वर्षो तक अधिकार पेशियों [illegible] का पीठासीन अधिकार अवकाश पर रहे अथवा अन्य कार्य में व्यस्त रहे। इसके बाद दिनांक 21.05.2019 को दिनांक 19.08.2019 की पेशी दी गयी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:15 IST
Reason: SelfAttested

वादिया का वाद आदेश 9 नियम 5 का हवाला देकर खारिज कर दिया, जबकि उक्त दिनांक को वादिया व उनके अधिवक्ता दोनों अनुपस्थित थे तो सम्मन कैसे पेश होते। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना तामिल प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 0508.2014 को न्यायिक कार्य बहिष्कार रहा एवं आगामी दो पेशियों पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु वादी का अवसर दिये गये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.02.2015 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रोसेज पेश किये गये। इसके बाद लगभग 23 पेशियों में ज्यादा समय या तो अदालत नहीं लगी या पीठासीन अधिकार अवकाश पर रहे अथवा अन्य कार्य में व्यस्त रहे या प्रकरण लोक अदालत में पेश होने का अंकन है। दिनांक 23.01.2019 को प्रतिवादीगण की तामिल हेतु आखिरी अवसर दिया गया, किन्तु आगामी पेशी दिनांक 12.02.2019 को न्यायिक कार्य बहिष्कार रहा तथा आगामी 2 पेशियों पर पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली दिनांक 19.08.2019 को पेश हुई। दिनांक 19.0802019 को अधिनस्थ न्यायालय ने वादीया का वाद तामिल के अभाव में खारिज कर दिया, जबकि उक्त दिनांक को वादिया व उनके अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं थे, तो सम्मन कैसे पेश करते। अधिनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादिया को तामिल हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 49/2014 निर्णय एवं डिक्री 19.08.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादिया को तामिल हेतु समुचित अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:44:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीपसिंह सांगावत)
अधिनस्थ अधिकारी
एवं
अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर